


अतः पत्रावली पूरा जावरानुसार
दिनांक 3-8-22 को पेश हो

3-8-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अनुपस्थित।
वकील अपार्थी उपस्थित। बार-बार आवाज
दिलवाई गयी सायं 5-30 P.M. बज चुके हैं।
बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद
पार्थी व वकील पार्थी में से कोई उपस्थित
नहीं। अतः अदम हाजरी / अदम पेंखी में
पार्थी का पार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमान टौकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

